



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]
No. 230]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 24, 2012/ज्येष्ठ 3, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAISTHA 3, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

सा.का.नि. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सुरक्षा उपाय (परिमाणात्मक निबंधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

- (क) "अधिनियम" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकृत अधिकारी" नियम 3 से उप-नियम (1) के अधीन ऐसे रूप में अभिहित प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "बढ़ी हुई मात्रा" में देशीय उत्पादन के चाहे निरपेक्ष निबंधन में हो या सापेक्ष हों आयात में वृद्धि सम्मिलित है;
- (घ) "हितबद्ध पक्षकार" में निम्नलिखित सम्मिलित है;

(i) किसी माल का निर्यातकर्ता या विदेशी उत्पादक या आयातकर्ता (जो सुरक्षा परिमाणात्मक निबंधनों के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण के अधीन हैं) या व्यापार या कारबार संगम, अधिकांश ऐसे सदस्य जो ऐसे माल के उत्पादक, निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हैं;

(ii) निर्यातक देश की सरकार; और

(iii) भारत में समान माल या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक मालों के उत्पादक या व्यापार या कारखाने संगम, ऐसे अधिकांश ऐसे सदस्य जो भारत में समान माल या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक मालों का उत्पादन करते हैं या व्यापार करते हैं ;

(ड) “समान माल” से वह माल अभिप्रेत है जो अन्वेषण के अधीन मामलों के संबंध में सभी प्रकार से समरूप या समान रूप से है, या ऐसे मालों की अनुपस्थिति में अन्य माल जो अन्वेषण के अधीन उन मालों के निकट सदृश रूप से विशिष्टताएं रखते हैं ;

(च) “परिमाणात्मक निर्बंधन” से अधिनियम के अधीन सुरक्षा उपाय के रूप में अधिरोपित माल की मात्रा पर कोई विनिर्दिष्ट सीमा अभिप्रेत है ;

(छ) “विनिर्दिष्ट देश” से कोई ऐसा देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और जिसमें वह देश या राज्यक्षेत्र सम्मिलित है जिसके साथ भारत सरकार ने अधिकतम प्रोत्साहित किए गए राष्ट्र के प्रति व्यवहार करते हुए करार किया है ।

(2) वह शब्द और पद जिनका यहां प्रयोग किया गया है, परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में उन्हें परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित हैं ।

3. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के बारे में जांच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का उत्तरदायित्व - (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार की पंक्ति के अन्यून किसी अधिकारी को अभिहित करेगी ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण और केन्द्रीय सरकार को उसमें आवश्यक सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) विदेश व्यापार महानिदेशालय सचिवीय सहायता और ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा जो वह ठीक समझे ।

4. प्राधिकृत अधिकारी के कर्तव्य - प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा -

(क) भारत में आयात की वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका की विद्यमानता का अन्वेषण करना ;

(ख) सुरक्षा उपाय के रूप में परिमाणात्मक निर्बंधनों के लिए दायी मालों की पहचान करना ;

(ग) विनिर्दिष्ट देश से भारत में माल के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना ।

(घ) निम्नलिखित के लिए सिफारिश करना -

- (i) परिमाणात्मक निर्बंधनों की प्रकृति और विस्तार जो यदि अधिरोपित है, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका को हटाने के लिए पर्याप्त होगी ; और
- (ii) सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण की अवधि और जहां वह अवधि जो एक वर्ष से अधिक के लिए इस प्रकार सिफारिश की गई है, सार्थक समायोजन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगतिशील उदासीकरण की सिफारिश करना ; और
- (ड) सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों की निरंतरता की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करना ।

5. अन्वेषण का प्रारंभ होना - (1) प्राधिकृत अधिकारी, समान माल या प्रत्यक्ष प्रतियोगी माल के घरेलू उत्पादक के लिखित आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी बड़ी मात्रा, घरेलू उत्पादन के सापेक्ष या निरपेक्ष में माल की आयात द्वारा गंभीर क्षति की आशंका की विद्यमानता का अवधारण करने के लिए लिखित आवेदन की प्राप्ति पर अन्वेषण प्रारंभ करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में किया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा समर्थित होगा -

(क) निम्नलिखित का साक्ष्य -

(i) अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ आयात

(ii) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका ; और

(iii) आयातों और अभिकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध ;

(ख) आयातों के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के प्रति सार्थक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयत्न, या बनाई जाने वाली योजनाएं या दोनों पर एक विवरण ; और

(ग) यह उल्लेख करते हुए एक विवरण की क्या अन्वेषण के अधीन माल पर सुरक्षा कार्य को आरंभ करने के लिए कोई आवेदन महानिदेशक सुरक्षा, राजस्व विभाग को भी प्रस्तुत किया गया है ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में कोई अन्वेषण तब तक प्रारंभ नहीं करेगा जब तक वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच न कर ले और स्वयं का समाधान कर ले कि निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है -

(क) बढ़ा हुआ आयात ;

(ख) गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका ; और

(ग) बढ़े हुए आयातों और अभिकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध ।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी स्वप्रेरणा से अन्वेषण आरंभ कर सकेगा, यदि किसी स्रोत से प्राप्त सूचना से उसका समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख), या खंड (ग) में यथारूप से निर्दिष्ट पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं।

6. अन्वेषण संचालित करने वाले सिद्धांत- (1) भारत में माल के बड़े आयात के परिणामस्वरूप प्राधिकृत अधिकारी, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का अवधारण करने के लिए अन्वेषण आरंभ करने का विनिश्चय करने के पश्चात् अपने विनिश्चय को अधिसूचित करने की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् -

(क) निर्यातक देशों के नाम, अंतर्वर्तित माल और आयात की मात्रा ;

(ख) अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख ;

(ग) उन तथ्यों का संक्षिप्त विवरण जिन पर गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका के अभिकथन आधारित हैं ;

(घ) अन्वेषण के प्रारंभ किए जाने के लिए कारण ;

(ङ) वह पता जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन निदेशित किया जाना चाहिए ; और

(च) उनके विचारों को ज्ञात करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुज्ञात समय-सीमा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और संबद्ध अन्य मंत्रालयों, को माल के ज्ञात निर्यातकर्ताओं, संबद्ध निर्यातक देशों की सरकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित करेगी ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति भी निम्नलिखित को प्रदान करेगा -

(क) ज्ञात निर्यातकर्ता या संबद्ध व्यापार संगम ;

(ख) निर्यातक देशों की सरकारें ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ;

परंतु प्राधिकृत अधिकारी किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को लिखित में अनुरोध करने पर आवेदन की एक प्रति भी उपलब्ध कराएगा ।

(4) प्राधिकृत अधिकारी निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों और निर्यातक देशों की सरकारों से कोई जानकारी मांगने के लिए सूचना ऐसे रूप में जारी कर सकेगा जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जा सके और ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो पर्याप्त कारण दर्शाने पर प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञात कर सके, लिखित में ऐसे व्यक्तियों और सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेज उस तारीख के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुए समझे जाएंगे जिसमें यह दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को पारेषण के क्रम में रखे गए थे ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी अन्वेषण के अधीन माल के औद्योगिक-उपयुक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को उन मामलों में अवसर प्रदान करेगा जहां माल सूचना प्रस्तुत करने के लिए फुटकर स्तर पर समान रूप से विक्रीत है जो अन्य बातों के साथ उनके विचार को सम्मिलित करते हुए अन्वेषण करने के लिए सुसंगत है यदि सुरक्षा परिमाणत्मक निर्बंधन का अधिरोपण लोकहित में है या नहीं ।

(6) प्राधिकृत अधिकारी मौखिक अन्वेषण से संबंधित सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अनुज्ञात कर सकेगा किंतु ऐसी मौखिक सूचना पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब पश्चात्वर्ती रूप से इसे लिखित में प्रस्तुत किया गया हो ।

(7) प्राधिकृत अधिकारी किसी एक पक्षकार द्वारा इसको प्रस्तुत साक्ष्य अन्वेषण में भाग ले रहे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा ।

(8) यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार पहुंच से इनकार करता है या अन्यथा युक्तियुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है या अन्वेषण में महत्वपूर्ण रूप से अड़चन डालता है वहां प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा जो ऐसी परिस्थितियों के अधीन ठीक समझी जाएं ।

7. **गोपनीय सूचना** - (1) नियम 6 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (7) तथा नियम 9 की उपनियम (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सूचना जो प्रकृतिस्वरूप गोपनीय है या जिसे गोपनीयता के आधार पर प्रदान किया गया है कारण दर्शित करने पर उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बरता जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी उसकी गैर-गोपनीय सारांश को प्रस्तुत करने के लिए गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांशिकृत नहीं किया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार कारणों का कथन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा कि क्यों ऐसी सूचना का सारांशिकरण संभव नहीं है ।

(3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी, यदि प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के अनुरोध का औचित्य नहीं है या सूचना का प्रदायकर्ता या तो जनता में सूचना देने के लिए या तो व्यापक या संक्षेप रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो यह ऐसी सूचना का तब तक तिरस्कार कर सकेगा जब तक समुचित स्रोतों से इसके समाधान के लिए यह संकेत नहीं मिल जाता कि ऐसी सूचना सही है ।

8. गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का अवधारण - प्राधिकृत अधिकारी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका के अवधारण को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करेगा, अर्थात् :-

(क) यह यह अवधारण करने के लिए कि अन्वेषण में क्या बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने की आशंका हुई है, प्राधिकृत अधिकारी उस उद्योग की स्थिति वाले किसी उद्देश्य और परिमाणनीय प्रकृति के सभी सुसंगत कारकों विशिष्टतया निरपेक्ष और साक्षेप में संबद्ध माल के आयातों के वृद्धि की दर और रकम बढ़े आयातों द्वारा घरेलू बाजार में शेरों, विक्रय के स्तर में परिवर्तनों, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोगीकरण, लाभ और हानियां तथा नियोजन, का मूल्यांकन करेगा, और ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अन्वेषण, वस्तु साक्ष्य संबद्ध मालों के बढ़े हुए आयात और उसकी गंभीर क्षति या आशंका के बीच कारणात्मक संबंध की विद्यमानता के आधार पर संकेत न दे :

परंतु जब बढ़े आयातों से भिन्न कारकों से उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति का हो रही है तब ऐसी क्षति का बढ़े हुए आयातों में आरोपण नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में प्राधिकृत अधिकारी परिवाद को प्रतिपादन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए प्राधिकारी को परिवाद भेज सकेगा जो समुचित हो ।

9. अंतिम निष्कर्ष - (1) प्राधिकृत अधिकारी अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख से आठ मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार यह अवधारित करने के लिए अनुज्ञात करे कि क्या अन्वेषणाधीन मालों के बढ़े हुए आयातों के अप्रत्याशित विकासों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को आशंका या गंभीर क्षति कास्ति हुई है और बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान हैं, अनुज्ञात करेगा और निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगा -

(i) परिमाणात्मक निर्बंधन यदि अधिरोपित किए जाते हैं, के विस्तार और प्रकृति 'गंभीर क्षति' के रोकने या यथास्थिति उपचार करने और सार्थक समायोजन के सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त होंगे;

(ii) परिमाणात्मक निर्बंधनों का विस्तार जिससे कि आयातों का परिमाण हाल की अवधि के स्तर के नीचे आयातों की मात्रा से कम नहीं हुआ है जो अंतिम तीन प्रतिनिधित्व वर्षों में औसत आयात होगा जिसके लिए सांख्यिकी उपलब्ध है और औचित्य यदि विभिन्न स्तर, गंभीर क्षति को रोकने या उपचार करने के लिए आवश्यक है ;

(iii) प्रदायकर्ता देशों के बीच आबंटित किए जाने वाला कोटा और ऐसे विनिर्दिष्ट देशों के लिए कोटा में शेरों का आबंटन जिसका माल के प्रदाय में सारवान हित है;

(iv) परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण की अवधि और जहां परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण की अवधि एक वर्ष से अधिक है वहां प्रगतिशील उदारीकरण सार्थक समायोजन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त है ।

(2) अंतिम निष्कर्ष यदि सकारात्मक हैं तो तथ्यों और विधि के विषयों पर सभी सूचनाएं अंतर्विष्ट होंगी और वह कारण जिनसे निष्कर्ष निकलना हो ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों को अभिलिखित करने वाली एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा ।

(4) प्राधिकृत अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों के संबंध में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उसकी एक प्रति हितबद्ध पक्षकारों को भेजेगा ।

10. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों का अधिरोपण - केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश पर आधारित अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अंतिम अवधारण के अधीन आने वाले माल के भारत में आयातीकरण पर उस परिणाम या मात्रा जो गंभीर क्षति को रोकने या उपचार करने और समायोजन सुकर बनाने के लिए पर्याप्त पाया गया है, से अनधिक सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन का अधिरोपण कर सकेगी ।

11. गैर-विभेदकारी आधार पर सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों का अधिरोपण - इन नियमों के अधीन मालों पर अधिरोपित कोई सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन गैर-विभेदकारी आधार पर इसके स्रोत पर ध्यान दिए बिना मालों के सभी आयातों पर लागू होंगे ।

12. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के प्रारंभ की तारीख - इन नियमों के अधीन ऐसे परिमाणात्मक निर्बंधनों को अधिरोपित करने वाले उद्गृहीत सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे ।

13. अवधि - (1) नियम 10 के अधीन अधिरोपित सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन ऐसे समय की अवधि के लिए होंगे जो गंभीर क्षति को रोकने या उपचार करने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो सकें ।

(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियम 10 के अधीन अधिरोपित सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन पूर्व में तब तक प्रतिसंहत नहीं किए जाएंगे जब तक इसके अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति न हो :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी गंभीर क्षति या उसकी आशंका का समायोजन करने के लिए उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन ऐसी गंभीर क्षति या आशंका को रोकने के लिए और समायोजन को सुकर बनाने के लिए अधिरोपित किए जाने के लिए जारी रहने चाहिए, यह चार वर्ष की अवधि को बढ़ा सकेगी :

परंतु यह और कि किसी मामले में सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन उस तारीख से दस वर्ष की अवधि से परे अधिरोपित होना जारी नहीं होंगे जिसको ऐसा निर्बंधन पहली बार अधिरोपित किए गए थे ।

14. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों का उदारीकरण - यदि नियम 10 के अधीन अधिरोपित सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो निर्बंधन इसके अधिरोपण की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर प्रगतिशील रूप से उदार बनाए जाएंगे ।

15. पुनर्विलोकन - (1) प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के जारी अधिरोपण की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करेगा और यदि प्राप्त सूचना के आधार पर उसका समाधान हो जाता है कि -

(क) गंभीर क्षति को रोकने या उपचार करने के लिए सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन आवश्यक हैं और यह साक्ष्य हैं कि उद्योग सार्थक रूप से समायोजन कर रहा है, तो यह परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण को जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा ।

(ख) ऐसे निर्बंधन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है : केन्द्रीय सरकार से इसकी वापसी के लिए सिफारिश कर सकेगा :

परंतु जहां सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन के अधिरोपण की अवधि तीन वर्ष से अधिक है वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अधिरोपण के मध्य अवधि के अपश्चात् स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और यदि समुचित है तो ऐसे सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों की वापसी या परिमाणात्मक निर्बंधनों के उदारीकरण को बढ़ाने के लिए सिफारिश करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आरंभ किया गया कोई पुनर्विलोकन ऐसी पुनर्विलोकन के आरंभ की तारीख से आठ मास की अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसे केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात कर सके, समाप्त किया जाएगा ।

(3) नियम 5, नियम 6, नियम 7 और नियम 9 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन पुनर्विलोकन के मामले में लागू होंगे ।

[फा. सं. 01/92/180/106/एम 11/पीसी-VI/पीआरए]

अनूप के. पुजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

प्ररु प

[नियम 5(2) देखिए]

सुरक्षा अन्वेषण के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना

अंतर्वस्तु की सारणी

- खंड 1 साधारण सूचना
 खंड 2 उत्पाद जिसकी बाबत ध्यान में लाए गए आयात में वृद्धि
 खंड 3 बढ़ा हुआ आयात
 खंड 4 घरेलू उत्पादन
 खंड 5 क्षति
 खंड 6 क्षति का कारण
 खंड 7 प्रस्तुत किया जाना
 खंड 8 उपाबंध

खंड 1 : साधारण सूचना

1. आवेदन की तारीख
2. आवेदक, (आवेदकों) का नाम (नामों) और पता (पत्तों) प्रदान करें
3. समान या प्रत्यक्ष प्रतियोगी उत्पादों के घरेलू उत्पादक जिनके निमित्त आवेदन फाइल किया गया है (सभी घरेलू उत्पादकों का ब्यौर दें जो उनके आई ई सी के साथ आवेदन का समर्थन करते हैं, जहां लागू है)
4. समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पाद द्वारा गणना के लिए उत्पादन पर सूचना (उन घरेलू उत्पादकों की बाबत जो आवेदन का समर्थन करते हैं ।
5. समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पादों के संबद्ध उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन पर सूचना (सभी उत्पादकों की बाबत चाहे वे आवेदन का समर्थन करते हों या नहीं)

खंड 2 : उत्पाद जिसकी बाबत अभिकथित आयातों में वृद्धि होती है

1. उत्पाद का नाम
2. वर्णन : उत्पाद का पूरा विवरण प्रदान करें जिसमें रसायनिक फार्मूला, श्रेणी संघटक सामग्री/संघटक, संक्षेप में विनिर्माण की प्रक्रिया, उपयोग और विभिन्न श्रेणियों की अंतर परिवर्तनशीलता आदि सम्मिलित है ।
3. टैरिफ वर्गीकरण : 6/8/10 अंक स्तर पर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के साथ-साथ एचएस वर्गीकरण के अधीन उत्पाद का वर्गीकरण प्रदान करें ।

4. आयात शुल्क : पिछले तीन वर्ष के दौरान उद्ग्रहीत आयात शुल्क की दरों से संबंधित सूचना प्रदान करें। यदि उत्पाद कोई रियायती या अधिमान व्यवहार प्राप्त करता है, ब्यौरा प्रदान करें।
5. उद्भव का (के) देश : उद्भव का उन देश (देशों) के नाम प्रदान करें जहां उत्पाद उद्भूत हुआ है (जहां उद्भव का देश निर्यात के देश से भिन्न हैं, तो उद्भव के देश का नाम भी दिया जाना चाहिए)।
6. सभी ज्ञात विदेश उत्पादकों, निर्यातकों और आयातिक उत्पाद के आयातकर्ताओं की सूची संबद्ध व्यापार संगम और उपयोगिता संगम आदि के नामों और पतों के साथ प्रदान करें।
7. मुख्य औद्योगिक उपयुक्ताओं पर सूचना, औद्योगिक उपयुक्ताओं का संगठन और प्रतिनिधि उपभोक्त संगठन (यदि उत्पाद फुटकर स्तर पर सामान्य रूप से विक्रीत है)
8. निर्यात कीमत : आयातिक उत्पाद निर्यातकर्ता/देशवार की निर्यात कीमत का ब्यौरा और उसके आधार (एफओबी/सीआईएफ कीमत जिस पर माल भारत में प्रवेश करता है, प्रदान करें।

खंड 3 : बढ़ा हुआ आयात।

1. मात्रा के निबंधनों में उक्त उत्पाद के आयातों के विषय में पूर्ण और विस्तृत सूचना प्रदान करें और अंतिम तीन वर्ष (या अधिक) के लिए वर्षवार मूल्यांकन करें।
2. साम्य निबंधनों साथ ही साथ उक्त उत्पाद के कुल आयातों में उपरोक्त (1) का देशवार ब्यौरा प्रदान करें।
3. आयातित उत्पादों के शेयर पर पूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करें और समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के शेयर की जानकारी प्रदान करें और पिछले तीन वर्ष (या इससे अधिक के लिए (प्रतियोगी मात्रा और मूल्य दोनों के निबंधनों में कुल घरेलू खपत में) प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पादों की विस्तृत सूचना प्रदान करें।
4. उन कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनका बढ़े हुए प्रतियोगी आयातों के बारे में योगदान हो सकता है।

खंड 4 : घरेलू उत्पादन

1. घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पादकों के समान अंतिम उत्पाद के ब्यारे। उपरोक्त 2 के अनुसार वैसी वैसी ही सूचना, अर्थात्
 - i. नाम
 - ii. वर्णन

- iii. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन साथ ही साथ सीमा शुल्क टैरिफ के अधीन दोनों टैरिफ वर्गीकरण
- iv. घरेलू उत्पादकों के ब्यौरे
2. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों और संबद्ध व्यापार संगमों और उपयोक्ता संगमों आदि के नाम और पते ।
3. उपरोक्त 2 पर प्रत्येक द्वारा गणना में किए गए उत्पादन के ब्यौरे ।
4. कुल घरेलू उत्पादन के ब्यौरे
5. संस्थित क्षमता, क्षमता उपयोग और क्षमता उपयोग में गिरावट आदि

खंड 5 : क्षति या क्षति की आशंका

1. घरेलू उद्योग पर बढ़े हुए आयात का समाघात : कैसे बढ़ा आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका प्रदान कर रहा है, पर विस्तृत सूचना । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना सम्मिलित होनी चाहिए -
 - (क) विक्रय मात्रा, कुल घरेलू खपत और घरेलू उत्पादन का बाजार शेयर कैसे प्रभावी हुआ है ।
 - (ख) कम कीमत/कीमत हारा/कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना : उत्पादन पर लागतों की सूचना और कैसे बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उत्पाद की कीमतों को प्रभावित किया है आवश्यक रूप से प्रदान की जाएं ।
 - (ग) आंकड़ा उपदर्शित करने वाले संयंत्र की बंदी या समान उत्पादन उपयोग क्षमता में गिरावट सहित उद्योग में उत्पादन सुविधाओं का महत्वपूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना
 - (घ) नियोजन की हानि
 - (ङ) वित्तीय प्रास्थिति
विक्रय में कमी, बढ़ती तालिका, उत्पादन, लाभों में गिरावट का रुझान या बढ़ती बेरोजगारी पर सूचना सहित घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर पूर्ण सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ।
2. क्षति के अन्य कारक : किसी अन्य कारक का ब्यौरा प्रदान करें जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हैं और एक स्पष्टीकरण कि इन अन्य कारकों द्वारा आयातों द्वारा कारित क्षति में योगदान नहीं किया गया है (पाटन या सहायिकी के कारण हुई क्षति पर सूचना, यदि कोई है यहां विनिर्दिष्ट रूप से प्रदान किए जाने की आवश्यकता है । यह भी उल्लेख करें यदि प्रतिपाटन या प्रतिशुल्क अन्वेषण के लिए कोई आवेदन फाइल किया गया है)

खंड 6 : क्षति का कारण

कृपया बड़े हुए आयातों चाहे वास्तविक हों या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हों, के बीच संबंध सामने लाने वाले उपरोक्त प्रस्तुत किए गए आंकड़े का विश्लेषण प्रदान करें और क्षति या घरेलू उद्योग को कारित क्षति की आशंका और सुरक्षा उपाय (परिमाणात्मक निर्बंधन) नियम, 2012 के अधीन सुरक्षा अन्वेषण के आरंभ किए जाने के अनुरोध के लिए आधार ।

खंड 7 : प्रस्तुत किया जाना

क. अनुरोध किए गए उपाय वर्णित करने वाला एक विवरण जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

- अनुरोध किए गए सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन की प्रकृति और मात्रा ।
- अनुतोष चाहने के लिए प्रयोजन और कैसे ऐसे उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे ।
- वह अवधि जिसके लिए सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन के अधिरोपण का अनुरोध किया गया है और इसलिए उसके कारण ।

ख. यदि एक वर्ष या उससे अधिक के लिए अधिरोपित किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के लिए अनुरोध किया जाता है तो किए गए कृत्यों का और कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं या दोनों पर उद्योग के सार्थक समायोजन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगतिशील उदासीकरण के ब्यौर सहित आयात प्रतियोगिता के लिए सार्थक समायोजन करने के लिए ब्यौर ।

खंड 8 : उपाबद्ध

सभी सहायक सूचनाएँ आवेदन में उपाबद्ध के रूप में प्रदान की जा सकती हैं (मुख्य सूचना समुचित स्थानों पर देनी चाहिए । सूचना के ब्यारे उपाबद्ध में प्रदान किए जा सकते हैं) ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2012

G.S.R. 381(F).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions .— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, --

(a) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);

(b) "Authorised Officer" means the Authorised Officer designated as such under sub-rule(1) of rule 3;

(c) "increased quantity" includes increase in import whether in absolute terms or relative to domestic production;

(d) "interested party" includes -

(i) an exporter or foreign producer or the importer of goods (which is subject to investigation for purposes of imposition of safeguard quantitative restrictions) or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such goods;

(ii) the Government of the exporting country; and

(iii) a producer of the like goods or directly competitive goods in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like goods or directly competitive goods in India;

(e) "like goods" means goods which is identical or alike in all respects to the goods under investigation, or in the absence of such goods, other goods which has characteristics closely resembling those of the goods under investigation;

(f) "quantitative restrictions" means any specific limit on quantity of goods imposed as a safeguard measure under the Act;

(g) "specified country" means a country or territory which is a member of the World Trade Organization and includes the country or territory with which the Government of India has an agreement for giving it the most favoured nation treatment;

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Responsibility of Authorised Officer for making enquiry in respect to safeguard quantitative restrictions .— (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, designate an officer not below the rank of Additional Director General of Foreign Trade as an Authorised officer for making investigation for the purpose of this rules.

(2) The Authorised Officer shall be responsible for conducting investigation, under subsection (1) of section 9A, for the purpose of imposition of safeguard quantitative restrictions and making necessary recommendation therein to the Central Government.

(3) The Directorate General of Foreign Trade shall provide secretarial support and the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. Duties of Authorised Officer .— It shall be the duty of the Authorised Officer —

(a) to investigate the existence of serious injury or threat of serious injury to domestic industry as a consequence of increased import of a goods into India;

(b) to identify the goods liable for quantitative restrictions as a safeguard measure;

(c) to submit its findings, to the Central Government as to the serious injury or threat of serious injury to domestic industry consequent upon increased import of goods into India from the specified country;

(d) to recommend—

(i) the nature and extent of quantitative restrictions which, if imposed, shall be adequate to remove the serious injury or threat of serious injury to the domestic industry; and

(ii) the duration of imposition of safeguard quantitative restrictions and where the period so recommended is more than one year, to recommend progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment; and

(e) to review the need for continuance of the safeguard quantitative restrictions.

5. Initiation of investigation.— (1) The Authorised Officer shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like goods or directly competitive goods, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by the import of a goods in such increased quantities, absolute or relative to domestic production.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be made in Form appended to these rules and be supported with-

(a) the evidence of -

(i) increased imports as a result of unforeseen development;

(ii) serious injury or threat of serious injury to the domestic industry; and

(iii) a causal link between imports and the alleged serious injury or threat of serious injury;

(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to increase in competition due to imports; and

(c) a statement mentioning whether an application for the initiation of a safeguard action on the goods under investigation has also been submitted to the Director General of Safeguards, Department of Revenue.

(3) The Authorised Officer shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1), unless, it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding--

(a) increased imports;

(b) serious injury or threat of serious injury; and

(c) a causal link between increased imports and alleged serious injury or threat of serious injury.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Authorised Officer may initiate an investigation *suo moto*, if, it is satisfied with the information received from any source that sufficient evidence exists as referred to in clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-rule (3).

6. Principles governing investigations.— (1) The Authorised Officer shall, after it has decided to initiate investigation to determine serious injury or threat of serious injury to domestic industry, consequent upon the increased import of a goods into India, issue a public notice notifying its decision which, *inter alia*, contain information on the following, namely:-

(a) the name of the exporting countries, the goods involved and the volume of import;

- (b) the date of initiation of the investigation;
 - (c) a summary statement of the facts on which the allegation of serious injury or threat of serious injury is based;
 - (d) reasons for initiation of the investigation;
 - (e) the address to which representations by interested parties should be directed; and
 - (f) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.
- (2) The Authorised Officer shall forward a copy of the public notice to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, known exporters of the goods, the Governments of the exporting countries concerned and other interested parties.
- (3) The Authorised Officer shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 5, to--
- (a) the known exporters, or the concerned trade association;
 - (b) the Governments of the exporting countries; and
 - (c) the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry:

Provided that the Authorised Officer shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested person.

- (4) The Authorised Officer may issue a notice calling for any information in such form as may be specified in the notice from the exporters, foreign producers and governments of exporting countries and such information shall be furnished by such persons and governments in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Authorised Officer may allow on sufficient cause being shown.

Explanation.--For the purpose of this rule, the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were put in the course of transmission to the interested parties by the Authorised Officer.

- (5) The Authorised Officer shall provide opportunity to the industrial user of the goods under investigation and to representative consumer organisations in cases where the goods is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation including *inter alia*, their views if imposition of safeguard quantitative restrictions is in public interest or not.
- (6) The Authorised Officer may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Authorised Officer only when it is subsequently submitted in writing.

- (7) The Authorised Officer shall make available the evidence presented to it by one interested party to all other interested parties, participating in the investigation.
- (8) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authorised Officer may record its findings on the basis of the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.
7. **Confidential information** -- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 6, and sub-rule (5) of rule 9, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Authorised Officer and not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.
- (2) The Authorised Officer may require the parties providing information on confidential basis to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Authorised Officer a statement of reasons why summarisation of such information is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Authorised Officer is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information unless it is demonstrated to its satisfaction from appropriate sources that such information is correct.
8. **Determination of serious injury or threat of serious injury.**-- The Authorised Officer shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely:-
- (a) in the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Authorised Officer shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the goods concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and
- (b) the determination referred to in clause (a) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the goods concerned and serious injury or threat thereof.
- Provided that when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased

imports and in such cases, the Authorised Officer may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate.

9. **Final findings.--** (1) The Authorised Officer shall, within eight months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, as a result of unforeseen developments the increased imports of the goods under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry, and a casual link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury and recommend --
- (i) the extent and nature of quantitative restrictions which, if imposed, would be adequate to prevent or remedy 'serious injury' and to facilitate positive adjustment, as the case may be;
 - (ii) the extent of quantitative restrictions so that the quantity of imports is not reduced to the quantity of imports below the level of a recent period which shall be the average of import in the last three representative years for which statistics are available and justification if a different level is necessary to prevent or remedy serious injury;
 - (iii) the quota to be allocated among the supplying countries, and the allocation of shares in the quota for such specified countries which have a substantial interest in supplying the goods;
 - (iv) the duration of imposition of quantitative restrictions and where the duration of imposition of quantitative restrictions is more than one year, the progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment.
- (2) The final findings if affirmative shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion.
- (3) The Authorised Officer shall issue a public notice recording his final findings.
- (4) The Authorised Officer shall send a copy of the public notice regarding his final findings to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and a copy thereof to the interested parties.
10. **Imposition of safeguard quantitative restrictions.--** The Central Government may based on the recommendation of the Authorised Officer, by a notification in the Official Gazette, under sub-section (1) of section 9A of the Act, impose upon importation into India of the goods covered under the final determination, a safeguard quantitative restrictions not exceeding the amount or quantity which has been found adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

11. **Imposition of safeguard quantitative restrictions on non-discriminatory basis.**-- Any safeguard quantitative restrictions imposed on goods under these rules shall be applied on a non-discriminatory basis to all imports of the goods irrespective of its source.
12. **Date of commencement of safeguard quantitative restrictions.**-- The safeguard quantitative restrictions levied under these rules shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, imposing such quantitative restrictions.
13. **Duration.**—(1) The safeguard quantitative restrictions imposed under rule 10 shall be for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), safeguard quantitative restrictions imposed under rule 10 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of its imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such serious injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard quantitative restrictions should continue to be imposed, to prevent such serious injury or threat and to facilitate adjustments, it may extend the period beyond four years:

Provided further that in no case the safeguard quantitative restrictions shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such restrictions were first imposed.

14. **Liberalization of safeguard quantitative restrictions.** -- If the duration of the safeguard quantitative restrictions imposed under rule 10 exceeds one year, the restriction shall be progressively liberalised at regular intervals during the period of its imposition.
15. **Review.**—(1) The Authorised Officer shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard quantitative restrictions and shall, if it is satisfied on the basis of information received that --

- (a) safeguard quantitative restrictions is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of quantitative restrictions;
- (b) there is no justification for the continued imposition of such restriction; recommend to the central Government for its withdrawal:

Provided that where the period of imposition of safeguard quantitative restrictions exceeds three years, the Authorised Officer shall review the situation not later than the midterm of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such

safeguard quantitative restrictions or for the increase of the liberalisation of quantitative restrictions.

- (2) Any review initiated under sub-rule (1), shall be concluded within a period not exceeding eight months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.
- (3) The provisions of rules 5, 6, 7 and 9 shall, *mutatis mutandis*, apply in the case of review under this rule.

[F.No.01/92/180/106/AM11/PC-VI/PRA]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

FORM

[See rule 5(2)]

Information to be provided by Applicant for Safeguard Investigation

Table of Contents

- Section 1** General Information
- Section 2** Product in respect of which Increase in Imports Noticed
- Section 3** Increased Imports
- Section 4** Domestic Production
- Section 5** Injury
- Section 6** Cause of Injury
- Section 7** Submissions
- Section 8** Annexes

Section 1: General Information

1. Date of Application
2. Applicant(s) Provide name(s) and address(es) of the applicant(s)

3. Domestic Producers of the like or directly competitive products on whose behalf the application is filed (Give details of all domestic producers who support the application) along with their IEC, where applicable)
4. Information on production accounted for by the domestic producers of the like or directly competitive products (in respect of those domestic producers who support the application).
5. Information on the total domestic production of the product concerned of the like or directly competitive products (in respect of all producers whether they support the application or not).

Section 2: Product in respect of which increase in imports alleged

1. Name of the product
2. Description: Provide full description of the product including chemical formula, grade constituent materials / Components, process of manufacture in brief, uses and interchangeability of various grades, etc.
3. Tariff classification: Provide the classification of the product under the HS classification as well as Indian customs Tariff Classification at 6/8/10 digit level
4. Import Duty: Provide information relating to rates of import duty levied during the past three years. If the product enjoys any concessional or preferential treatment, provide details.
5. Country(ies) of Origin: Provide name(s) of country(ies) where the product has originated (where the country of origin is different then the country of export, the name of the country of origin should also be provided).
6. Provide a list of all known foreign producers, exporters & importers of the imported product, country-wise, together with names and addresses of concerned trade associations and user associations etc.
7. Information on major industrial users, organization of industrial users and representative consumer organisations. (In case the product is commonly sold at retail level).
8. Export Price: Details of export price of the imported Product exporter / country-wise and the basis thereof (provide the f.o.b. / c.i.f. price at which the goods enter into India).

Section 3: Increased Imports

1. Provide full and detailed information regarding the imports of the said product in terms of quantity and value year wise for the last three years (or longer).
2. Provide break up of (1) above country wise in absolute terms as well as a percentage of the total imports of the said product.
3. Provide full and detailed information on the share of the imported products and the share of the domestic production of the like product and the directly competitive products in the total domestic consumption for the last three years (or longer) both in terms of quantity and value.

4. Provide information on factors that may be attributing to increased imports.

Section 4: Domestic Production

1. Details of the like product and directly competitive products produced by the domestic producers. Information similar to II above i.e.
 - i. Name
 - ii. Description
 - iii. Tariff classification both under the Central Excise Tariff as well as under the Customs Tariff.
 - iv. Details of domestic producers
2. Names and addresses of all known domestic producers and concerned trade associations and users associations etc.
3. Details of production accounted for by each of the producers at 2 above.
4. Details of total domestic production.
5. Installed capacity, capacity utilization and fall in capacity utilization etc.

Section 5: Injury or Threat of Injury

1. Impact of increased imports on Domestic Industry: Detailed information on how the increased imports are causing serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. This should, *inter alia*, include information on
 - a. Sale volumes, total domestic consumption and how the market share of domestic production has been affected.
 - b. Price undercutting / price depression / prevention of rise in prices. Information on costs of production and how the increased imports have affected the prices of domestic production needs to be provided.
 - c. Any significant idling of production facilities in the industry including data indicating plant closure or fall in normal production capacity utilization.
 - d. Loss of employment
 - e. Financial situation

Full information on the financial situation of the domestic industry including information on decline in sales, growing inventory, downward trend in production, profits, productivity or increasing unemployment needs to be provided.

2. Other Factors of Injury: Provide details of any other factors that may be attributing to the injury to the domestic industry and an explanation that injury caused by these other factors is not attributed to injury caused by increased imports. (Information on injury caused due to dumping or subsidization, if any, needs to be specifically provided here. Also mention if any application for anti-dumping or countervailing duty investigation has been filed).

Section 6: Cause of Injury:

Please provide an analysis of data presented above bringing out a nexus between the increased imports, either actual or relative to domestic production, and the injury or threat of injury caused to the domestic industry and the basis for a request for initiation of safeguards investigation under Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.

Section 7: Submission

- a. A statement describing the measure requested including:
 - Nature and quantum of safeguard quantitative restriction requested.
 - Purpose of seeking the relief and how such objective will be achieved.
 - Duration for which imposition of safeguard quantitative restriction is requested and the reasons therefore.
- b. If the safeguard measures are requested to be imposed for more than one year, details on efforts being taken and planned to be taken or both to make a positive adjustment to import competition with details of progressive liberalization adequate to facilitate positive adjustment of the industry.

Section 8: Annexes

All supporting information can be provided as annexes to the application. (The main information must be provided at the appropriate places. The details of the information can be provided in annexes).